

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

दिनांक 18 जुलाई, 2019

पत्रांक-2166एमटी/19-146एमटी/13

- 1-समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।
- 2-समस्त सेवा प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।
- 3- समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो),
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषय:- लम्बी दूरी की वाहनों के तकनीकी निरीक्षण की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

परिवहन निगम की बसों के स्वस्थ संचालन को सुनिश्चित करने हेतु बसों की आउटसेडिंग के समय बस की स्वस्थता की जाँच आवश्यक है। इस हेतु प्रत्येक कार्यालय में लम्बी दूरी (300 किमी० से अधिक) के मार्ग पर संचालन के लिए बस उपलब्ध कराने से पूर्व बस की निम्नलिखित जाँच की जानी आवश्यक है।

1. बस पर दो चालक मार्ग पर भेजे जाने हेतु बैनाच हो।
2. स्पीड लिमिट डिवाइस कार्यरत हो।
3. वी०टी०एस० कार्यरत हो।
4. बस में वैध अग्निशमन यन्त्र उपलब्ध हो।
5. बस की आर०आई० फिटनेस वैध हो।
6. बस का स्टेयरिंग एवं ब्रेक सही कार्य कर रहे हो।
7. बस के समस्त टायर की स्थिति ठीक हो।
8. बस की हेड लाइट, ब्रेक लाइट, बैक लाइट एवं वाईपर कार्यरत हो।
9. बस में समस्त शीशे लगे हो।
10. बस सेल्फ स्टार्ट हो।
11. वाहनों की धुलाई एवं सफाई की स्थिति अच्छी हो।
12. वाहनों में First Aid kit उपलब्ध हो।
13. A.C. वाहनों में Glass Breaking Hammer (हथौड़ी) उपलब्ध हो।

डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/सीनियर फोरमैन/केन्द्र प्रभारी बसों के उक्त निरीक्षण का रिकार्ड एक रजिस्टर में रखना सुनिश्चित करेंगे जिसमें ग्रुप प्रभारी एवं केन्द्र प्रभारी संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करेंगे। उनके द्वारा ओके किया जाना एवं सम्बन्धित के हस्ताक्षर होने के बाद ही वाहन मार्ग पर संचालन हेतु जायेंगी। उपरोक्त बसों की आउटसेडिंग का रिकार्ड डिपो में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के पास रहेगा।

सभी अधिकारी उपरोक्त निर्देशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(डा० राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, मा० अध्यक्ष महोदय निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. निजी सचिव, अपर प्रबन्ध निदेशक निगम मुख्यालय लखनऊ।
3. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि०/संचा०), निगम मुख्यालय लखनऊ।
4. समस्त प्रधान प्रबन्धक, निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5. समस्त, नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(डा० राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक